पावरग्रिड POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

अपील पत्र दिनांक:23.02.2024

संदर्भ सं0: ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./ उ. क्षे.1/2292/५५५ **दिनांक:** 11.03.2024

लोक प्राधिकारी का नाम **: पावरग्रिड उ. क्षे-1 मुख्यालय, एस. सी. ओ, Bay No. 5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद -121002**

आदेश

आर. टी. आई प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2024 जो कि **श्री रामकुमार चौधरी**, **चौधरी भवन**, **डिफेन्स कालोनी**, **मोहनपुरा मौहम्मदपुर**, **परगना व तहसील रुडकी**, **जिला हरिद्वार (मो. न.9719919400**) के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/सक्षम अधिकारी पावरग्रिड के फरीदाबाद कार्यालय में प्राप्त हुआ। आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी ने ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार द्वारा कृषि भूमि खाता संख्या 00265 के खसरा संख्या 88/1 व 2 क्षेत्रफल 0.9830 हेक्टेयर भूमि की बाबत वर्ष 2013, 2014 व 2015 की समयावधि में क्षतिपुर्ति कि एवज में प्रभावित किसानो को मुआवजा राशि एवं अन्य विवरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी चाही है। इस अनुसार सी.पी.आई.ओ., उ.क्षे.1 ने अपने पत्र संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./2292/420 दिनांक 14.02.2024 के माध्यम से बिंदुवार जानकारी आर. टी. आई. अधिनियमानुसार प्रदान की है।

अब, श्री रामकुमार चौधरी ने आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 19(1) के अनुसार सी.पी.आई.ओ., उ.क्षे.1 द्वारा प्रदान की गयी जानकारी से असंतुष्ट होने पर अपील पत्र दिनांक 23.02.2024 भेजा जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 27.02.2024 को प्राप्त हुआ है। अपील पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.02.2024 के माध्यम से कोई भी सन्तोषजनक सूचना या उत्तर प्रेषित नहीं किया है।

अब, अपीलकर्ता से प्राप्त अपील पत्र एवं सलग्न दस्तावेजो का अध्ययन के पश्चात, अपील पत्र को पुन: सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे. प्रथम के द्वारा दी गयी जानकारी पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इस अनुसार सी. पी. आई. ओ., उ. क्षे.1 के द्वारा प्रस्तुत पक्ष एवं दस्तावेजो का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि सी. पी. आई.ओ., उ. क्षे.1 द्वारा पत्र संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./2292/420 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा दी गई जानकारी आर. टी. आई. अधिनियमानुसार है। इसके उप्रांत भी आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप किसी विशेष किसान की जानकारी चाहिए तो उसका नाम व पता बताने कि कृपा करे जिससे कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 11(1) के तहत उस किसान को पत्र लिखकर सहमति ली जा सके और उस अनुसार कार्यवाही की जा सके। जैसा कि आपने अपने अपील पत्र में रु.300/- के प्रतियों कि एवज में शुल्क का जिक्र किया है इस अनुसार आपके 3 भारतीय पोस्टल आर्डर न. 53H 319191, 53H 319192 एवं 53H 319195 इस पत्र के साथ वापस किये जा रहे है। अत: आपका अपील पत्र दिनांक 23.02.2024 को बंद (dispose) किया जाता है।

[ए. के. मिश्रा]
कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे .। एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
इ-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1. श्री रामकुमार चौधरी, चौधरी भवन, डिफेंस कालोनी, मोहनापुरा मौहम्मदपुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार (मो. न.9719919400): अपील पत्र दिनांक 23.02.2024 के संदर्भ में ।
2. श्री उपेन्द्र सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना/अभियांत्रिकी) एवं अधिकृत सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे.I: सूचना एवं रिकार्ड हेतु।

एक टका | একশ টাকা | સો રૂપિયા | ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು | سو روپے | നൂറു രൂപ | शंभर रुपये | ଏକଶହ ଟଙ୍କା | ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ | शतं रूप्यकाणि

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लो० सू० अधि० / सहायक आयोग (?), पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० फरीदाबाद -121002 को

एक सौ रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

भुगतान करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 100

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES

AT THE POST OFFICE AT फरीदाबाद

के डाकघर में अदा करें ।

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.
रामकुमार चौधरी S/O स्व० चौ० हरकिशन (?)
... चौधरीवास, ...
... मॉ० पुर, जि० हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

वैधता– जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और व्दितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

53H 319191

एक टका · একশ টাকা · सो रुपिया · शंभर रुपये · शतं रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित / ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लोक सूचना अधिकारी/सहायक अधिकारी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० फरीदाबाद - 121002 को

एक सौ रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

अदा करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित / PAYING OFFICE STAMP WITH DATE

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES

₹100

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT फरीदाबाद के डाकघर में अदा करें।

नाम कुमार चौधरी [illegible] चौधरी [illegible], नि० चौधरी भवन, [illegible] कालोनी, मोहनपुर [illegible], जि० [illegible]

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

वैधता– जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और द्वितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

53H 319192

एक टका एकक टाका सौ रुपिया

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लो०सू० अधि०/सक्षम अधिकारी प्रोव्ट ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० फरीदाबाद - 121 002 को

एक सौ रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

₹ 100

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES

डाक टिकट

POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT फरीदाबाद

के डाकघर में अदा करें ।

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

रामकुमार चौधरी s/o कि० चौहल सिंह उर्फ चूहड़सिंह, नि० चौधरी भवन, किशन कॉलोनी मोहनपुरा मोंठपुर, जि० हरियाणा (131301)

वैधता– जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और व्दितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।

Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

53H 319195